न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन
जिला चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी विनोद कुमार (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या/08/2021 दायर दिनांक 12.10.2021

उनवान

1. सरकार जरिये तहसीलदार कपासन, जिला चित्तौड़गढ़।

अपीलान्ट

बनाम

1. सरपंच ग्राम पंचायत धमाणा तहसील कपासन, जिला चित्तौड़गढ़।

रेस्पोडेन्ट

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपील अन्तर्गत धारा 75 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट अपील विरूद्ध

आदेश ग्राम पंचायत धमाणा नामान्तरण सं 421, दिनांक 05.02.2021

निर्णय दिनांकः 28.10.2021

–: निर्णयः–

अपील अन्तर्गत धारा 75 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट के तहसीलदार कपासन ने इस आशय का प्रस्तुत की, मौजा धोबीखेडा पटवार हल्का धमाणा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ की हल्के बैरूनी की ग्राम पंचायत धमाणा तहसील कपासन के द्वारा नामान्तरण संख्या 421 दिनांक 05.02.2021 को खोला गया। उक्त निर्णित नामान्तरण निरस्त होने योग्य है, प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि रजिस्टर्ड हकत्याग विलेख गटु, चान्दी पुत्री हमेरा जाति चमार निवासी धोबीखेडा ने गणेश, रमेश पिता मांगीलाल व नाना लाल, प्रभु लाल पिता छगनलाल जाति चमार के पक्ष में किया परन्तु राजस्व रेकार्ड में खाता संख्या 173 में हकत्याग गृहिता चान्दी पुत्री हमेरा के बजाय चान्दी पत्नि मांगीलाल का हिस्सा सहवहन से हकगृहिता के पक्ष में दर्ज हो गया। उक्त नामान्तरण की जांच भू अभिलेख निरीक्षक धमाणा द्वारा की गयी। व ग्राम पंचायत द्वारा निर्णित किया गया जो कि त्रुटिपूर्ण है, जिसे शुद्ध किया जाना है जो कि श्रीमान् के न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है।

अतः श्रीमान् से निवेदन है कि राजस्व ग्राम [illegible] शाखा के नामान्तरकरण संख्या 421 को निरस्त फरमाने के आदेश प्रदान करावें जिससे सही एवं शुद्ध नामान्तरकरण की कार्यवाही की जा सके।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2022.01.06 17:54:51 IST
Reason: SelfAttested

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने हाजिर होकर अपील का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा धोबीखेडा के नामान्तरकरण संख्या 421 दिनांक 05.02.2021 सहवहन से गलत दर्ज हो गया है। अतः उक्त नामान्तरकरण निरस्त करवाया जावें।

हमनें उभयपक्ष की बहस सुनी। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। की गयी बहस पर मनन किया। अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर निर्णय दिया जाता है कि ग्राम पंचायत धमाणा द्वारा पारित राजस्व ग्राम धोबीखेडा के आदेश इन्तकाल संख्या 421 दिनांक 05.02.2021 को अपास्त किया जाकर तहसीलदार कपासन को अपील इस आशय से रिमाण्ड की जाती है नियमानुसार विधि सम्मत कार्यवाही की जाकर नामान्तरकरण खोलने की कार्यवाही करे। तहसीलदार कपासन को निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(विनोद कुमार)
सहायक कलक्टर व
उपखण्ड अधिकारी कपासन

Signature Not Verified

Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2022.01.06 17:54:51 IST
Reason: SelfAttested